

अनवान

01. किशना पिता गंगाराम बलाई (सालवी)
 02. गुलाबी बेवा गंगाराम बलाई (सालवी)
- सर्व निवासी कांगणी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—वादीगण

बनाम

01. अणछी पत्नि किशनलाल सालवी (बलाई)
 02. नन्दलाल पिता छोगा रेगर
 03. लादुलाल पिता छोगा रेगर
 04. बगतावरी पुत्री छोगा रेगर
 05. मोहनी पुत्री छोगा रेगर
 06. रतन पिता माला बलाई (सालवी)
- सर्व निवासी कांगणी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
07. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा बजरिये शाखा प्रबन्धक।
 08. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0गंगापुर जिला भीलवाडा

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :- श्री जाकिर हुसेन एवं फतहलाल लौहार, अधिवक्ता वादीगण
श्री, अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 का0 अधिनियम

:- निर्णय :-

दिनांक :- 31/07/2020

संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 02.12.2020 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम कांगणी पटवार हल्का कांगणी तह0 सहाड़ा स्थित आराजी नं0 1047 रकबा 0.48हे0 1048 रकबा 0.34हे0 1049 रकबा 0.25हे0, 1050 रकबा 0.25हे0 1052 रकबा 0.24 हे0 1053 रकबा 0.15हे0 1054 रकबा 0.12हे0 1055 रकबा 0.35हे0 1056 रकबा 0.40हे0 कुल कित्ता 09 कुल रकबा 2.58हे0 भूमि का विभाजन पक्षकारान की उपस्थिति में प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये जाकर प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सहाड़ा से तलब किया गया। तहसीलदार सहाड़ा ने अपने पत्रांक/पी0डी0/2020/239 दिनांक 04.03.2020 को प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया।

ग्राम कांगणी पटवार हल्का कांगणी स्थित आराजी नं0 1047 रकबा 0.48हे0 1048 रकबा 0.34हे0 1049 रकबा 0.25हे0, 1050 रकबा 0.25हे0 1052 रकबा 0.24 हे0 1053 रकबा 0.15हे0 1054 रकबा 0.12हे0 1055 रकबा 0.35हे0 1056 रकबा 0.40हे0 कुल कित्ता 09 कुल रकबा 2.58हे0 भूमि का ही विभाजन चाहने से तहसीलदार द्वारा निम्नानुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया जिसे अधिवक्ता वादीगण द्वारा स्वीकार है।

अतः वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखो में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	किशना पुत्र गंगाराम 1/2 गुलाबी पत्नि गंगाराम 1/2 जाति बलाई सा. देह	कांगणी	1052	0.24
			1053	0.15
			1055	0.35
		योग	3	0.74



लगातार...02

//02//

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे०)
1	2	3	4	5
2	अण्छी पत्नि किशनलाल जाति बलाई सा० देह खातेदार	कांगणी	1050/1 1049	0.18 0.25
		योग	2	0.43
3	रतन पुत्र माला जाति बलाई सा. देह खातेदार	कांगणी	1047 1048 1054	0.48 0.34 0.12
		योग	3	0.94
4	नन्दराम पुत्र छोगा 1/4 लादुलाल पुत्र छोगा 1/4 बगतावरी पुत्री छोगा 1/4 मोहनी पुत्री छोगा 1/4 जाति रेगर सा. देह खातेदार	कांगणी	1056	0.40
		योग	1	0.40

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।

(विकल्प में चोली मटर
सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगोपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय आज दिनांक 31.07.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगोपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)



मूल वाद में डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापूर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - श्री विकास पंचोली (RAS)
वादपत्र संख्या:- 158/2018

अनवान

01. किशना पिता गंगाराम बलाई (सालवी)
 02. गुलाबी बेवा गंगाराम बलाई (सालवी)
- सर्व निवासी कांगणी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—वादीया

बनाम

01. अणछी पत्नि किशनलाल सालवी (बलाई)
 02. नन्दलाल पिता छोगा रेगर
 03. लादुलाल पिता छोगा रेगर
 04. बगतावरी पुत्री छोगा रेगर
 05. मोहनी पुत्री छोगा रेगर
 06. रतन पिता माला बलाई (सालवी)
- सर्व निवासी कांगणी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
07. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा बजरिये शाखा प्रबन्धक।
 08. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु०गंगापूर जिला भीलवाड़ा

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :- श्री जाकिर हुसेन एवं फतहलाल लौहार, अधिवक्ता वादीगण
श्री अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा०टी०एक्ट

निर्णय दिनांक : 31.07.2020

डिक्री दिनांक : 31.07.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय गंगापूर बहाजरी अधिवक्तावादी श्री जाकिर हुसेन एवं फतहलाल लौहार व पैरोकार सरकार हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :-

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे०)
1	2	3	4	5
1	किशना पुत्र गंगाराम 1/2 गुलाबी पत्नि गंगाराम 1/2 जाति बलाई सा. देह खातेदार	कांगणी	1052 1053 1055	0.24 0.15 0.35
		योग	3	0.74
2	अणछी पत्नि किशनलाल जाति बलाई सा० देह खातेदार	कांगणी	1050/1 1049	0.18 0.25
		योग	2	0.43
3	रतन पुत्र माला जाति बलाई सा. देह खातेदार	कांगणी	1047 1048 1054	0.48 0.34 0.12
		योग	3	0.94

लगातार...02

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापूर जिला भीलवाड़ा (राज.)

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे०)
1	2	3	4	5
4	नन्दराम पुत्र छोगा 1/4 लादुलाल पुत्र छोगा 1/4 बगतावरी पुत्री छोगा 1/4 मोहनी पुत्री छोगा 1/4 जाति रेगर सा. देह खातेदार	कांगणी	1056	0.40
		योग	1	0.40

नीज Nil मुबलिय Nil बाबत् Nil खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर Nil फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक Nil का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31/07/2020 को जारी किया गया।

(विकास कलेक्टर)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापूर जिला भीलवाड़ा

मुद	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	—		स्टाम्प अरजीदया	—	
स्टाम्प वकीलात नामा	—		स्टाम्प वकीलात नामा	—	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
महनताना वकील ()	—		महनताना वकील ()	—	
खर्चा गवाह	—		खर्चा गवाह	—	
फीस कमीशनर	—		फीस कमीशनर	—	
बाबत् इजराय	—		बाबत् इजराय हुक्मनामा	—	
हुक्मनामा	—		मुनफरिक	—	
मुनफरिक			मीजान		
मीजान					



(विकास कलेक्टर)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापूर जिला भीलवाड़ा